


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 1999/2015जिला.....नागौर.....

उनवान - 1. राकेश जैन पुत्र मदनलाल जैन, नागौर 2. श्रीमती सुनीता जैन पत्नी राकेश जैन, नागौर बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक लाडनू नागौर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.02.2016	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री गौरव दवे एवं विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी जरिये वकील ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम की अधिसूचना दिनांक 12.01.2016 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र पेश कर प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने का निवेदन किया है। जिस पर विभागीय पैरोकार को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः प्रार्थी जरिये वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निगरानी जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	